

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100482

दिनांक: 05/02/2026

लोक सूचना

श्री **VIRASAT BUILDHOMES PRIVATE LIMITED JARIYE DIRECTOR VAIBHAV JAIN** पुत्र श्री **DARSHAN KUMAR JAIN** जाति **JAIN** निवासी **7, GREEN NAGAR, NEAR DALDA FACTORY, DURGAPURA, TONK ROAD, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मानपुरगेट, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) मैसर्स विरासत बिल्डहोम्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक वैभव जैन पुत्र दर्शन कुमार जैन हिस्सा पूर्ण जाति जैन मकान संख्या 24 कॉलोनी ग्रीन नगर डालडा फैक्ट्री के पास क्षेत्र / स्थान दुर्गापुरा टोंक रोड शहर जयपुर पिन कोड 302018 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	87/1	0.4046	0.4046
2.	मानपुरगेट, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) विरासत बिल्डहोम्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर वैभव जैन पुत्र दर्शन कुमार जैन हिस्सा पूर्ण जाति जैन मकान संख्या 24 कॉलोनी ग्रीन नगर डालडा फैक्ट्री के पास क्षेत्र / स्थान दुर्गापुरा टोंक रोड शहर जयपुर पिन कोड	87/2	0.4046	0.4046

		302018 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार			
3.	मानपुरगेट, माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) विरासत बिल्डहोम्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर वैभव जैन पुत्र दर्शन कुमार जैन हिस्सा पूर्ण जाति जैन मकान संख्या 24 कॉलोनी ग्रीन नगर डालडा फैक्ट्री के पास क्षेत्र / स्थान दुर्गापुरा टोंक रोड शहर जयपुर पिन कोड 302018 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	377/91	0.8167	0.8167
कुल					1.6259

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-02-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

